

To,

The Under Secretary,
Govt. of U.P.,
Appointment Section-4,
Lucknow.

D.R(M) :-
May kindly
peruse the
Govt. letters
dt: 28-12-01,
1-5-2002 and
letter dt: 28-11-01
of the J. D. Treasury
U.P. Adl and
issue this draft?

157
No. 13979 / II - 2585 / Admn (A) Dt: 29-2-02

Subject: Refixation of pay of Sri
Laloo Singh, the then 1st
Judicial Magistrate, Faizabad
now posted as Chief Judicial
Magistrate, Pratapgarh.

R. Srinivasa
7/9/02
RD Caudrey
7.9.02
80 Ad A/
Xm/9/9/02
Kodum
9.9.02
D.R(M)

Sir,
With reference to the Govt.
letter no. 339/II-4-2001-93 (9)/2001
dated 28-12-2001 and subsequent file
reminder no. 1291/II-4-2002-23 (9)/
2001, dated 1-5-2002, on the above
subject, I am directed to say that the
requisite Option Form of Sri Hari Nath
Pandey, the then Adl. Civil Judge, Pratap-
garh now posted Civil Judge (Sr. Division)
Kampur Nagar with regard to fixation
of his pay w.e. from 1-1-1996 as
asked for in aforesaid Govt. 28
letter, has already been sent to the
Govt. High Courts letter no. 1318/II-
2585/Admn (A) Dated 25-1-2001
alongwith the representation dated 1-9-2001
of Sri Laloo Singh, the then Chief Judicial
Magistrate, Pratapgarh for taking
necessary action in the matter. However
another copy of the ^{above} Govt. 28
letter.

Flag 'X' ←

Flag 'X' ←

dated 25-1-2001 along with ^{Copy of} ~~the~~ Option Form of Sri Hari Nath Pandey ~~is~~ ^{being} being sent to you for ~~ready reference.~~ ^{tabing necessary action.}

I am, therefore to request you kindly to obtain necessary orders of the Court in this regard and the same be communicated to the Court at an early date.

Encl:

① Copy of CPD
letter Dt. 25-1-02

Yours faithfully

② Option Form of
Sri Hari Nath Pandey.

Forward
9.9.2002
Deputy Registrar

150

No. 13980 / II - 2585 / Admn(A) Dt 21-9-2002

Copy forwarded for information

③

matter ~~and necessary~~ to :-

④ Sri Laloo Singh, Chief Judicial Magistrate, Pratapgarh through District Judge, Pratapgarh.

(11) The Joint Director, Directorate of Treasuries, U.P., Camp Office, New Treasury Building Kachary Road, Alld. with reference to his letter no. 4194/ve. P. Pra. / Nyayik/E. R. -153/54, dated 28-11-2001.

Forward
9.9.2002
Deputy Registrar

Request-84

संख्या-1291/दो-4-2002-23191/2001

17/5/2002

प्रेषक,
कमल किशोर श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

20/5/02

Register No.	455
File No.	IV/2585
Serial No.	148

02
23/5/02

सेवा में,
महा निबंधक,
मा0 उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

1.8.02

21/5/02

18.8.02

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 1 मई, 2002

विषय- श्री लल्लू सिंह, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्रांक 3391/दो-4-2001-23191/2001 दिनांक 26-12-2001 का संदर्भ ग्रहण करें। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री हरिनाथ पाण्डेय, अपर सिविल जज प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान दिये गये विकल्प की प्रति शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(Signature)

कमल किशोर श्रीवास्तव
अनु सचिव

50

DR (M)

18 MAY 2002

S.O. Admin. M/A

DR (M)
18-5-2002

(Handwritten notes)

प्रेषक,

कमल किशोर श्रीवास्तव,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

Register No.	65
File No.	IV/2585
Serial No.	143

सेवा में,

✓ महा निबंधक,

मा० उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद।

15/1/02
17/8/02
23-1-02
8.2.02
17/1/02
18/1-02

नियुक्ति अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक: 26 दिसम्बर, 2001

विषय- श्री लल्लू सिंह, प्रथम न्यायिक मजिस्ट्रेट, फैजाबाद के वेतन निर्धारण के सम्बन्ध में।

8
1.8.02

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- 5978/चार-2585/रडमिन 1ए1, दिनांक 26 -4-2001 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री लल्लू सिंह का वेतन निर्धारण उनसे कनिष्ठ श्री हरिनाथ पाण्डेय के बराबर निर्धारित करने के सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु दोनों अधिकारियों द्वारा दिनांक- 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतन निर्धारण हेतु दिए गए विकल्पों को शासन को आवश्यकता है। श्री लल्लू सिंह द्वारा उक्त सम्बन्ध में दिए गए विकल्प की प्रति संयुक्त निदेशक कोषागार द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

अतः अनुरोध है कि श्री हरिनाथ पाण्डेय अपर सिविल जज प्रतापगढ़ द्वारा दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षित वेतनमान हेतु दिए गए विकल्प की प्रति प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे प्रकरण में उल्लिखित वेतन विसंगति को दूर किया जा सके।

भवदीय,

(Signature)

कमल किशोर श्रीवास्तव

अनु सचिव

31

15/1/02

x2

15/1/02

123

S-O Admin. 11/11

D.R.(M)
11-1-2002

11/1/02 (M)

11 JAN 2002

original letter
restored in letter Singh

Request-84

पंजीकृत
पत्रांक: 4199/112
/004090/न्यायिक/ई0आर0पी0-153/54

Received
31-1-2001
51

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक,
शिविर कार्यालय, कोषागार निदेशालय, उ०प०,
नवीन कोषागार भवन, कपहरी रोड, जलहाबाद।

17-8-02
15-12-01

सेवा में,

श्री कमल किशोर श्रीवास्तव,
अनु. सचिव,
नियुक्ति अनुभाग-4,
उ०प० शासन, लखनऊ।

Register No.	18525
File No.	IV/2585
Serial No.	141

5/12/01

23-1-02

दिनांक: 28 नवम्बर, 2001

विषय:- सिविल जज जूनियर डिप्टी जज श्री लल्लू सिंह और श्री हरिनाथ पाण्डेय के मध्य
वैतन विसंगतियों के प्रति अधिकारी दय को सेवा पुस्तिका का प्रेषण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 2096/अ-4-2001-23/9/2001,
दिनांक 22-8-2001 का कृपया आप संदर्भ में, जिसके द्वारा श्री लल्लू सिंह, सिविल
जज जूनियर डिप्टी जज सदर, फैजाबाद का वैतन श्री हरिनाथ पाण्डेय, सिविल जज
जूनियर डिप्टी जज प्रतापगढ़ के समकक्ष निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में कतिपय
सूचना के साथ अधिकारी दय की सेवा पुस्तिकायें मूलरूप में शासन ने वाही है।
शासन के उपरोक्त वांछित अभिलेख के क्रम में श्री लल्लू सिंह और श्री हरिनाथ पाण्डेय
अधिकारी दय की सेवा पुस्तिकायें मूलरूप में संग्रह कर शासन को प्रेषित हैं।

संदर्भित पत्र द्वारा वांछित अन्य दृष्टान्तों का उल्लेख है:-

1. प्रस्तर-1 के सापेक्ष वांछित अभिलेख न दय के साथ संग्रह कर शासन को प्रेषित है।
2. प्रस्तर-2 के संबंध में सूच्य है कि अधिकारी दय का दिनांक 1-1-96 से प्रभावी पुनरीक्षित वैतनमान में उनका वैतन संबंधित जनपद के जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया गया है। तत्कालीन समय में यह अधिकारी समूह "ख" की सेवा में कार्यरत थे। पुनरीक्षित वैतनमान में अधिकारी दय का कतिपय घुम्ने का प्रपत्र इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। कृपया यह संबंधित जनपद के जिला न्यायाधीश से प्राप्त करना चाहें।
3. प्रस्तर-3 के संदर्भ में सूच्य है कि अधिकारी दय का कतिपय इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। सेवा पुस्तिका के अनुसार श्री लल्लू सिंह ने उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में दिनांक 4-9-93 से योगदान किया है, जबकि श्री हरिनाथ पाण्डेय ने दिनांक 24-5-94 से योगदान किया है। इसके पूर्व श्री पाण्डेय सहायक सेवायोजन अधिकारी के पद पर ईअंरं दिनांक 21-3-91 से सेवारत थे। पुराने वैतनमान ₹ 2200-4000 में श्री लल्लू सिंह दिनांक 4-9-93 को ₹ 2200.00, 1-9-94 को ₹ 2275.00, दि 1-9-95 को ₹ 2350.00 और दि 1-9-96 को ₹ 2425.00 वैतन प्राप्त कर रहे थे, जबकि श्री हरिनाथ पाण्डेय दिनांक 24-5-94 को ₹ 2200.00, दि 1-5-95 को रुपये 2275.00 और दि 1-5-96 को ₹ 2350.00 वैतन प्राप्त कर रहे थे। पुनरीक्षित वैतनमान ₹ 8000-13500 में अधिकारी दय का वैतन ₹ 8000.00 संबंधित जनपद के जनपद न्यायाधीश द्वारा निर्धारित किया गया है, जैसा कि सेवा पुस्तिका में अंकित है।

कृपया अधिकारी दय की मूल सेवा पुस्तिकाओं की प्राप्ति स्वीकार करें।
और आवश्यक कार्यवाही के उपरांत संबंधित सेवा पुस्तिकायें इस कार्यालय को वापस
भेजने का कष्ट करें।

संग्रहक:- कृपया दो सेवा पुस्तिकायें।

भवदीया,

नोट:- दो सेवा पुस्तिकायें इस पत्र
के साथ संलग्न नहीं हैं।

श्रीमती पी०एस०मोहन कर
संयुक्त निदेशक।

6/12/01

4/12/01
C. Admin H/A

D.R(M)
4-12-2001

33
DR(M)
4 DEC 2001

सू० सं०:

॥ १०५०५०/न्यायिक/ई०अ०पी०-१५३/५५, तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सुवनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु

प्रेषित:-

1. निबन्धक, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
2. सम्बन्धित अधिकारी के पत्रावली के अभिलेखार्थ ।

॥ श्रीमती पद्मिनीमोहन कर ॥
संयुक्त निदेशक।